



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

199

पत्रांक संख्या- Ho.3142/सी-5/सामान्य-527/23

दिनांक 21/11/23

To,

The Registrar General,
Principal Bench,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg, New Delhi-110001

Sub: Regarding Additional Action Taken Report (ATR) on behalf of Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) in compliance to the Order dated 07.08.2023 passed by Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Execution Application No- 24/2023 In Re: O.A. No-44/2022 Saket Girls PG College vs. State of Uttar Pradesh and Others..

Sir,

In compliance to the order dated 07.08.2023 passed by this Hon'ble National Green Tribunal in Execution Application No- 24/2023 In Re: O.A. No-44/2022 Saket Girls PG College Vs. State of Uttar Pradesh and Others, the Additional Action Taken Report on behalf of UPPCB is hereby attached with a request to put up before Hon'ble National Green Tribunal for kind perusal and consideration.

Enclosure: As above.

Your's Sincerely,

(Dr. Ram Karan)

**Chief Environmental Officer,
Circle-5**

Copy to:

1. Shri Pradeep Mishra, Advocate for UPPCB.
2. Law Officer-I, UPPCB, Lucknow.
3. Regional Officer, UPPCB, Raebareli.

**Chief Environmental Officer,
Circle-5**

Additional Action Taken Report (ATR) on behalf of Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) in compliance to the Order dated 07.08.2023 passed by Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Execution Application No-24/2023 In Re: O.A. No-44/2022 Saket Girls PG College vs. State of Uttar Pradesh and Others.

Hon'ble NGT, New Delhi vide its order dated 07-08-2023 In Execution Application No- 24/2023 In Re: O.A. No-44/2022 Saket Girls PG College vs. State of Uttar Pradesh and Others, has passed the following directions:-

".....The contention of the Execution applicant is that continuous and unabated destruction of the applicant's college property has inflicted significant mental anguish and profound financial losses, demanding immediate execution to mitigate further harm and protect the rights and interests of the applicant.

5. *A substantial issue of environment has been raised.*
6. *Issue notice to the respondent nos. 2 to 6 returnable within four weeks. Respondents are directed to submit their reply/action taken report by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. Action taken report by the State PCB must be filed before the date of listing.*
7. *Applicant is directed to take necessary steps for service to the respondents by both ways and also on available email.*
8. *Applicant is directed to supply the copy of the application and relevant documents to the Respondent Nos. 2 to 6 within a week and after compliance of service, the applicant has to submit an affidavit that the notice and copy of the application have been served upon the respondent(s).*
9. *List the matter on 06.09.2023.*
10. *In the meantime, State PCB is directed to ensure that there should not be any discharge of untreated water into the open land or the water body and in case of any violation, environmental compensation must be assessed and realized in accordance with the parameters laid down by NGT and CPCB in addition to punitive legal actions in accordance with law..... "*

That with most respectfully in pursuance to the order dated 07.08.2023 the action taken report has been submitted by UPPCB on 04.09.2023 vide letter no. H00212/C-5/G-527/23 before Hon'ble Tribunal, New Delhi.

Additional Action Taken Report (ATR):

That in pursuance to the order passed by this Hon'ble NGT, UPPCB vide letter no. H 03023/C-5/G-527/23 dated 17.11.2023 has imposed the Environmental Compensation Rs. 85.0 Lakhs for default period from 15.06.2022 to 30.10.2023 against the Executive Officer, Municipal Council, Pratapgarh. The copy of the letter dated 17.11.2023 is attached herewith and marked that **Annexure-1 to this ATR.**

Therefore, the additional action taken report on behalf of UPPCB is being filed for the kind perusal and consideration of this Hon'ble Tribunal.

Lucknow

Yours' Sincerely

Dated: 21.11.2023


(Dr. Ram Karan)

Chief Environment Officer (Circle-5)
U.P Pollution Control Board,
Lucknow



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Annexure-1201

पत्रांक संख्या-1103023/सी-5/सामान्य-527/23

दिनांक-17/11/2023
पंजीकृत

सेवा में,

अधिकाारी,
नगर पालिका परिषद,
प्रतापगढ़।

सौ. सं. 9453106697

यह कि साकेत गर्ल्स पी0जी0 कालेज, गायघाट रोड, दहिलामऊ, प्रतापगढ़ के परिसर में हो रहे जल भराव के दृष्टिगत कालेज प्रबन्धन द्वारा पूर्व में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में वाद संख्या-ओ0ए0-44/2022 योजित किया गया था, जिसमें मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक-15.02.2022 को आदेश पारित करते हुए जांच हेतु संयुक्त समिति का गठन किया गया तथा संयुक्त समिति को Immediate Remedial Action लेने हेतु आदेशित किया गया था।

यह कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक-15.02.2022 के क्रम में नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ द्वारा नाले के निर्माण तक तत्कालिक रूप से पम्प के माध्यम से परिसर के दोनों तरफ एकत्रित उत्प्रवाह को लिफ्ट कर अन्य ड्रेन में निस्तारित किए जाने की व्यवस्था की गयी थी तथा नाले के निर्माण में अनुमानित व्यय का आंकलन कर संयुक्त समिति की रिपोर्ट मा0 राष्ट्रीय अधिकरण को प्रेषित की गयी थी। मा0 अधिकरण द्वारा नगर पालिका परिषद द्वारा तत्कालिक कृत कार्यवाही तथा संयुक्त समिति की जांच रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 01.07.2022 को आदेश पारित करते हुए वाद को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत है-

"..... On due consideration of the issue, we find it difficult to accept the stand that the College is required to take CTE/CTO or to install STP. Remedial action needs to be taken to complete the drain and to prevent and control of water logging by the District Magistrate, Pratapgarh and the Municipal Council, Pratapgarh. The Applicant College or other stake holders may also be associated in the process. Budget is not our concern which is to be dealt with by the concerned authorities, environment protection being absolute liability of the State.

9. Remedial measures for proper drainage and carrying sewage and sullage to the STP, avoiding inundation and such other areas as may be found necessary may accordingly be planned and executed under the supervision of the District Magistrate and action taken report furnished to the Secretary, Urban Development, UP. The Applicant College will be at liberty to move the District Magistrate and the Secretary Urban Development for redressal of any further grievance. The IA and the main matter are disposed of....."

यह कि उपरोक्त पारित आदेश के अनुपालन में नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ द्वारा अग्रेतर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक-15.02.2022 के अनुपालन में नगर पालिका परिषद द्वारा ड्रेन के निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गयी कार्ययोजना के अनुरूप ड्रेन का निर्माण भी अभी तक नहीं कराया गया है। जल की निकासी एवं निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या-242/NGT-44/P/2022-23 दिनांक 15.06.2022 एवं 843/NGT-44/P/2022-23 दिनांक 09.02.2023 के माध्यम से अधिकाारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ को निर्देश जारी किये गये है।

यह कि साकेत गर्ल्स पी0जी0 कालेज, गायघाट रोड, दहिलामऊ, प्रतापगढ़ द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-44/2022 साकेत गर्ल्स पीजी कालेज बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य के अन्तर्गत योजित Execution Application No-24/2023 में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.08.2023 जिसके सुसंगत अंश निम्नवत हैं-

".....10. In the meantime, State PCB is directed to ensure that there should not be any discharge of untreated water into the open land or the waterbody and in case of any violation, environmental compensation must be assessed and realized in accordance with the parameters laid down by NGT and CPCB in addition to punitive legal actions in accordance with law. List the matter on 06.09.2023....."

...2

यह कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, रायबरेली के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 25.08.2023 को किया गया। निरीक्षण के दौरान कालेज परिसर के दोनों तरफ स्थित खाली ढ़ड़े प्लाटों में जल भराव की समस्या पूर्ववत व्याप्त पायी गयी तथा मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में नगर पालिका परिषद द्वारा अभी तक ड्रेन का निर्माण नहीं कराये जाने के कारण बोर्ड के पत्रांक-एच 00197/सी-5/सामा-527/23 दिनांक 01.09.2023 द्वारा अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ के विरुद्ध दिनांक 15.06.2022 से रुपये 5.0 लाख प्रतिमाह की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

यह कि अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ के विरुद्ध जारी कारण बताओ नोटिस के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय, रायबरेली के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा साकेत गर्ल्स पी0जी0 कालेज, गायघाट रोड, दहिलामऊ, प्रतापगढ़ का निरीक्षण दिनांक 30.10.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय कालेज परिसर के आस-पास जल भराव की स्थिति पूर्ववत पायी गयी। निरीक्षण आख्याननुसार स्थल पर जल निकासी हेतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नगर पालिका, प्रतापगढ़ द्वारा नहीं किया गया।

यह कि उपरोक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी, रायबरेली द्वारा अपने पत्र संख्या-565/एन.जी.टी.-44/2022/2023-24 दिनांक 02.11.2023 एवं पत्र संख्या-597/एन.जी.टी.-44/2022/2023-24 दिनांक 16.11.2023 द्वारा मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक-07.08.2023 के अनुपालन में अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ के विरुद्ध दिनांक 15.06.2022 से दिनांक 30.10.2023 (17 माह हेतु) रुपये 5.0 लाख प्रति ड्रेन प्रतिमाह की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 01.09.2023 की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी, रायबरेली की संस्तुति के आधार पर जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ को निम्नानुसार जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 01.09.2023 की पुष्टि की जाती है:-

1. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-44/2022 साकेत गर्ल्स पीजी कालेज बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य के अन्तर्गत योजित Execution Application No-24/2023 में पारित आदेश दिनांक 07.08.2023 के अनुपालन में अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ के विरुद्ध दिनांक 15.06.2022 से दिनांक 30.10.2023 (17 माह हेतु) तक रुपये 5.0 लाख प्रति ड्रेन प्रतिमाह की दर से रुपये 85,00,000/- (रुपये पच्चासी लाख मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है।
2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ द्वारा साकेत गर्ल्स पी0जी0 कालेज, गायघाट रोड, दहिलामऊ, प्रतापगढ़ के समीप स्थित ड्रेन के सीवेज हेतु शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित होने तक अग्रेतर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी।

उपरोक्त के संबंध में इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पक्ष में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रुपये 85,00,000/- (रुपये पच्चासी लाख मात्र) की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड-UBIN0570150 में जमा करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत
भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, प्रतापगढ़।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ को जारी निर्देश की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5